

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 02, गुरुवार, १९४७- जनवरी 22, 2026 Magha 02, Thursday, Saka 1947- January 22, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

विभाग का नाम: उपायुक्त लैंड (प्रथम), नगर निगम जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 29, 2025

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संशोधन) नियम-2021, 2024 के तहत
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या एफ13() उपा. लैंड/ननिज प्रथम/2025/ 670:-श्री अरविन्द मायाराम पुत्र स्व. श्री मायाराम निवासी भू.सं. ओ-19, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं (संशोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2021, 2024) के अधीन आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया है:-

शहर का नाम	योजना का नाम	भूखण्ड	क्षेत्रफल
जयपुर शहर	सी-स्कीम, जयपुर	भू.सं. ओ-19, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	920.50 व.ग. में से रोड की चौड़ाई हेतु 115.75 व.ग. समर्पित करने के पश्चात् 804.75 व.ग. (672.87 व.मी.)

इस भूखण्ड को आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के पेटे राशि 83,61,632/- रुपये (तियासी लाख इकसठ हजार छः सौ बत्तीस रुपये) दिनांक 25.07.2025 व भू-उपयोग परिवर्तन की अन्तर राशि 8,24,315/- रुपये दिनांक 19.09.2025 को जमा करवा दिया गया है।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 संशोधित नियम 2021 एवं 2024 के अधीन आवेदित भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है।

1. यह केवल आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
2. उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् नियमानुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 रीजन में अंकित प्रावधानों व जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 (संशोधित सहित) प्रचलित भवन विनियम के मानदण्डों के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे तथा भूखण्ड में पार्किंग व वाटर हार्वेस्टिंग व अन्य आवश्यक मापदण्डों का प्रावधान करना होगा।

3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित रूपांतरण के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक होगा परन्तु यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो तो नगर निगम द्वारा भू-रूपांतरण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसूल की जावेगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेगा तथा पुनः भू-रूपांतरण हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 4. बिन्दु सं. 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भूमि पर स्थित निर्माण कार्य को अवैध माना जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

5. भू-रूपांतरण के पश्चात् प्रश्नगत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।

6. भू-रूपांतरण आदेश जारी होने की तिथि से आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीज नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानानुसार जमा करानी होगी जो प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से पूर्व जमा करानी होगी। यदि एक मुफ्त लीज जमा है तो देय नहीं है।

7. भूखण्ड पर आवासीय से व्यावसायिक उपयोग किये जाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किंग भूखण्ड की कम्पाउण्डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किंग कम्पाउण्डवाल के अन्दर ही की जावे।

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन आदेश राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत्त होगा।

डॉ. गौरव सैनी,
आयुक्त,
नगर निगम जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।